UPBS010013892026

न्यायालय ADJ I, Basti

पीठासीन अधिकारी– (SHEO CHAND) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP06040**

Bail Application/354/2026

Shivam Singh alias Priyanshu Vs. State

अपराध सं०– 22/2026
धारा–109(1), 352, 324(4) बी०एन०एस०
व 3/25/25 आर्म्स एक्ट,
थाना– छावनी, जिला बस्ती

दिनांक 20.03.2026

श्री रवि प्रताप सिंह , एडवोकेट ––––आवेदक/अभियुक्त की तरफ से
श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ०
––अभियोजन पक्ष की तरफ से

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा– 483 बी०एन०एस०एस०, आवेदक/अभियुक्त **शिवम सिंह उर्फ प्रियांशू** उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र राजेश सिंह, निवासी–पड़री बाबू, थाना–परसरामपुर, जिला बस्ती की ओर से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार बस्ती में निरूद्ध है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 11.02.2026 को निरस्त किया गया है। शपथ पत्र के अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

2– प्रस्तुत मामले में संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय अथ्वा उच्च न्यायालय में न लम्बित है और न ही निर्णीत हुआ है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी ने वादी मुकदमा या किसी के उपर कोई फायर नहीं किया है और न किसी को कोई क्षति पहुंचाया है और न ही प्रार्थी के पास से कोई अग्नायुध की बरामदगी ही है। प्रार्थी मामले में नामजद नहीं है। दौरान विवेचना गलत तरीके से प्रार्थी का नाम मामले में लाया गया है, सह अभियुक्त की जमानत हो चुकी है। प्रार्थी जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी के फरार होने की सम्भावना नहीं है। प्रार्थी जमानत की शर्तों का दुरूपयोग नहीं करेगा। जमानत प्रार्थना–पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है।

3– विद्वान सहायक अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अभियुक्त/आवेदक के जमानत प्रार्थनापत्र का तीव्र विरोध किया गया है।

5. अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को विस्तार से सुना एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

Digitally signed by SHEO CHAND
Date: 2026.03.23 15:28:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6– प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक–04–02–2026 को वादी मुकदमा अपने प्राइवेट बस संख्या यू०पी० 51 ए.टी.–4410 से मृतक परशुराम उपाध्याय का शव अंतिम दाह संस्कार हेतु अयोध्या ले जा रहा था, मझौवा के पास सफेद बुलेट पर सवार व्यक्ति नाम पता अज्ञात साइड लेने की बात को लेकर गाली गुप्ता देने लगे तथा जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर फायर कर दिये, फायर का निशान बस पर मौजूद है एवं बस को नुकसान हुआ है। इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। वादी मुकदमा को किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र की चोट आना दर्शित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 06.02.2026 से जिला कारागार बस्ती में निरूद्ध है। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए गुणदोष पर विचार किये बिना मैं जमानत का पर्याप्त आधार पाता हूं। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **शिवम सिंह उर्फ प्रियांशू** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु० 50,000/– रूपये का निजी बन्धपत्र व समान धनराशि की दो जमानतें प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाय।

दिनांक 20.02.2026

(शिवचन्द)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–1, बस्ती।